मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ई-13/12/25/2019-जनसंपर्क

दिनांक : 26.02.2020

प्रेस प्रकाशनी

दिनांक 26.02.2020 को काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल का शिलान्यास

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने **बुधवार, 26 फरवरी, 2020** को काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल का शिलान्यास किया। **श्री गुम्मानुर जयराम**, माननीय श्रम एवं राज्य मंत्री, प्रशिक्षण एवं कारखाने, आंध्र प्रदेश इस कार्यक्रम के **मुख्य अतिथि** थे। **श्रीमती वंगा गीता विश्वंध**, माननीय सांसद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में **श्री पिल्ली सुभाष चंद्र बोस**, माननीय उप मुख्यमंत्री और राजस्व, स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार; **श्री पिनिपे विश्वरूप**, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार; **श्री कुरसाल कन्नाबाबू**, माननीय कृषि एवं सहयोग विपणन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार; **श्रीमती सुंकारा पवनी**, माननीय महापौर, काकीनाडा नगर निगम; **श्री चिक्काला रामचंद्र राव**, माननीय पार्षद; **श्री द्वारमपुड़ी चंद्र शेखर रेड्डी**, माननीय विधायक, काकीनाडा शहर और **डॉ. आर.के. कटारिया**, चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम भी शामिल थे।

कार्यक्रम के दौरान श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने भारत के कामगारों को बेहतर देखरेख तथा सुविधाएं प्रदान कराने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विविध कदमों के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अंशदान दरों में घटौती, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आदि के कार्यान्वयन आदि के संबंध में भी बताया।

श्री गुम्मानुर जयराम, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री, प्रशिक्षण एवं कारखाना, आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा स्थापित किए जाने वाले अस्पताल के संचालन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्रीय सरकार के प्रयासों को स्वीकारा तथा राज्य सरकार के सहयोग के संबंध में आश्वासन दिया। इस परियोजना के दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। क.रा.बी. निगम के इस अस्पताल के निर्माण के पश्चात्, इसे संचालन हेतु राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल

काकीनाड़ा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण चारों ओर हरियाली से आच्छादित 7 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 101.54 करोड़ रुपये होगी। अस्पताल में आवासीय परिसर सहित भूतल + 2 स्तर होगा तथा अस्पताल ओपीडी, वार्ड, प्रयोगशाला तथा आपातकालीन जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधा से भी सुसज्जित होगा। यह अस्पताल काकीनाडा और यनम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करेगा जहां वर्तमान में 65,000 से अधिक बीमाकृत व्यक्ति तथा 2 लाख से अधिक लाभार्थी मौजूद हैं।

आंध्र प्रदेश में क.रा.बी. योजना

आंध्र प्रदेश में, शुरुआत में, क.रा.बी. योजना दिनांक 09.10.1955 से मात्र 4 केंद्रों अर्थात् विजयवाड़ा, गुंटूर, एलुरू तथा विशाखपट्टणम के साथ केंद्रवार कार्यान्वित की गई थी। योजना धीरे-धीरे 136 केंद्रों में विस्तारित हुई। वर्तमान में, योजना, 42,880 नियोक्ताओं, 12,90,051 बीमाकृत व्यक्तियों तथा 43,39,208 से अधिक लाभार्थियों सहित आंध्र प्रदेश के 663 मंडलों में लागू है। क.रा.बी. योजना, 1 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा 12 शाखा

कार्यालयों के माध्यम से आंध्र प्रदेश में शासित की जा रही हैं। लाभार्थियों को, 4 क.रा.बी. योजना अस्पतालों, 3 नैदानिक केंद्रों, 78 क.रा.बी. योजना औषधालयों, 79 नामिका क्लीनिकों तथा 34 केंद्रों में चल-औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। द्वितीयक देखरेख तथा अति विशिष्टता उपचार प्रदान करने के लिए, सभी जिलों तथा महत्वपूर्ण केंद्रों में 38 निजी अस्पतालों के साथ टाइ अप व्यवस्थाएं की गई हैं।

भारत में क.रा.बी. योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी.अधिनियम उन भवनों/ परिसीमाओं पर लागू होता है जहाँ 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। प्रतिमाह 21,000/- रुपए का वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य हितलाभों के हकदार हैं। यह अधिनियम अब पूरे देश के 10.33 लाख से अधिक कारखानों और स्थापनाओं में लागू है, जिससे लगभग 3.43 करोड़ श्रमिकों की पारिवारिक इकाइयों को लाभ मिल रहा है। इस समय क.रा.बी. योजना के लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ से अधिक है। क.रा.बी. निगम ने 1952 में अपनी स्थापना के समय से अब तक 154 अस्पतालों, 1500/148 औषधालयों/भारतीय चिकित्सा पद्धति इकाइयों, 805 शाखा/भुगतान कार्यालयों और 63 क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

****